

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3870]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941

No. 38701

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/AGRAHAYANA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4308(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में अतंर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 नवंबर, 2017 में प्रकाशित आदेश संख्या का.आ.3755(अ), तारीख 27 नवंबर, 2017 का और संशोधन करते हैं, अर्थात् :- उक्त आदेश में.-

- (क) पैरा 3 में, "रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 नवंबर, 2019 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 अक्तबर, 2020 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे :
- (ख) पैरा 10 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :"10क. आयोग दो रिपोर्टे अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट और 2021-22 से 2025-26 तक की विस्तारित अविध के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तत करेगा।"
- (ग) पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "11. आयोग, 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए 30 अक्तूबर, 2020 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा"।

(1)

ह /-राम नाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति

[फा. सं.10(1)-बी(एस) /2019]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव (बजट)

6182 GI/2019

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(ii) में का.आ.सं.3755(अ), तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसुचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया, अर्थातु:-

- (i) का.आ. 3802(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2017;
- (ii) का.आ. 1964(अ), तारीख 17 मई, 2018;
- (iii) का.आ. 6142(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2018 ;
- (iv) का.आ. 1040(अ), तारीख 27 फरवरी, 2019;
- (v) का.आ. 2691(अ), तारीख 29 जुलाई, 2019।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2019

S.O. 4308(E).—The following order made by the President is published for general information:—

ORDER

In pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution, read with the provisions contained in the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to further amend the order number S.O.3755 (E), dated the 27th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th November, 2017, namely:-

In the said order. -

- (a) in paragraph 3, for the words, figures and letters, "date of submission of report or the 30th day of November, 2019", the words, figures and letters, "date of submission of final report or 30th day of October, 2020" shall be substituted:
- (b) after paragraph 10, the following paragraph shall be inserted, namely:-
 - "10A. The Commission shall submit two reports, namely a first report for financial year 2020-21 and a final report for an extended period of 2021-22 to 2025-26."
- (c) for paragraph 11, the following paragraph shall be substituted, namely:-
 - "11. The Commission shall make its final report available by 30th day of October, 2020 covering a period of five years commencing 1st April, 2021".

Sd/-RAM NATH KOVIND President of India

[F.No.10 (1)-B(S)/2019]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budget)

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.3755 (E), dated the 27th November, 2017 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

- (i) S. O. 3802(E), dated the 4th December, 2017;
- (ii) S. O. 1964(E), dated the 17th May, 2018;
- (iii) S. O. 6142(E), dated the 12th December, 2018;
- (iv) S. O. 1040(E), dated the 27th February, 2019;
- (v) S. O. 2691(E), dated the 29^{th} July, 2019.